

21.02.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल  
वादी पत्र अदम हाजरी मे खारिज हो चुका हो।  
मूल वाद पत्र अदम हाजरी खारिज होने के  
कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई  
कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र  
खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त  
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. को  
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली  
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

राज्य प्रशासनिक  
एवं उपसहायिका  
हनुमानगढ़

